

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विष्णोई, आर.ए.एस.

2022-116RAAJodhpur2022-70RTA225 Bhikhsingh ors Vs Tiloksingh etc

01. देवीसिंह पुत्र छोगसिंह,
02. हिमतसिंह पुत्र छोगसिंह,
03. सुमेर सिंह पुत्र दोलसिंह,
04. धनसिंह पुत्र भीवसिंह

सभी जातियान राजपूत, निवासीगण नाहरसिंह नगर, बापिणी, तहसील बापिणी, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. तिलोकसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
2. रामसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
जाति राजपूत निवासीगण—बापिणी तहसील बापिणी जिला फलोदी।
रेस्यो.
3. हुकमसिंह पुत्र छोगसिंह
4. पुरा कंवर पत्नी दोलसिंह
5. मनोहर सिंह पुत्र दोलसिंह
6. फतेहसिंह पुत्र दोलसिंह नाबालिग जरिये वली माता पुरा कंवर
7. बरजु कंवर पत्नी छोगसिंह,
8. मोहन कंवर पत्नी पेमसिंह
9. जेटुसिंह पुत्र रूपसिंह
10. नरपतसिंह पुत्र रेंवतसिंह
11. हुकमसिंह पुत्र रेवतसिंह
12. शैतानसिंह पुत्र रेवतसिंह
13. अनोपसिंह पुत्र रेवतसिंह
14. पाबुदानसिंह पुत्र मानसिंह
15. शेरसिंह पुत्र मानसिंह
16. भोमसिंह पुत्र लालसिंह
17. देवीसिंह पुत्र लालसिंह
18. अर्जुनसिंह पुत्र लालसिंह
19. अणचकंवर पत्नी लालसिंह
सभी जातियान राजपूत, निवासीगण ग्राम बापिणी तहसील बापिणी, जिला फलोदी।
20. सुपु कंवर पत्नी मुलसिंह
21. चुतरसिंह पुत्र मुलसिंह
22. मगसिंह पुत्र मुलसिंह

23. शिवसिंह पुत्र मुलसिंह
24. प्रेमसिंह पुत्र मुलसिंह
25. हवा कंवर पुत्री मुलसिंह
26. धापु कंवर पुत्री मुलसिंह
27. केसुकंवर पुत्री मुलसिंह
28. मीरा कंवर पुत्री मुलसिंह
29. हरकु कंवर पुत्री मुलसिंह
30. गोमी कंवर पुत्री मुलसिंह

सभी जातियान राजपूत, निवासीगण नाहर सिंह नगर बापिणी, तहसील बापिणी, जिला फलोदी ।

31. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बापिणी जिला फलोदी ।

रेसपो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काप्तकारी अधिनियम 1955
बरखिलाफ आदेश दिनांक 03 मार्च 2022 सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, लोहावट राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या
556/2020 तिलोकसिंह व अन्य बनाम देवीसिंह इत्यादि

उपस्थित—

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता—अपीलाण्ट्स
श्री पूनाराम विष्णोई, अधिवक्ता—रेसपो. संख्या 01 व 02
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेसपो. संख्या 31

नि र्ण य

दिनांक : 02 जून 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 556/2020 तिलोकसिंह व अन्य बनाम देवीसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 03 मार्च 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काप्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 28 मार्च 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेसपोडेंट संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काप्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपीलांट की खातेदारी खेत खसरा नं. 842 रकबा 59.02 बीघा ग्राम बापिणी तहसील बापिणी में आवागमन हेतु अपीलांट्स एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 से 30 की खातेदारी भूमि खसरा नं. 751 में सै सलंगन नजरी नक्शे अनुसार मार्क ए.बी.सी.डी 20 फीट

चौड़ा रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थी/अपीलांत की ओर से जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी/रेस्पो. के प्रार्थना पत्र का खण्डन किया गया। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 03 मार्च 2022 के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक व दो का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 01 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 750 में आने-जाने हेतु उनकी खुद की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 510 एवं उसके बट्टा नंबर तथा खसरा नंबर 508 में से पूर्व से ही रास्ता मौजूद है जो न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है। इस कारण धारा 251-ए राजस्थान काष्ठकारी अधिनियम के तहत नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है। इसके बावजूद भी मात्र अपीलार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में तैयार की गई है तथा विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स का मौका रिपोर्ट पर आपत्तियाँ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना तथा उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश धारा 251-ए की मंषा के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03 मार्च 2022 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में विद्वान रेस्पो. अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के आवागमन हेतु मौके पर अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता है। धारा 251-ए राजस्थान काष्ठकारी अधिनियम के तहत निकटतम रास्ता प्रदान किये जाने का प्रावधान है। अपीलाण्ट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष मौका रिपोर्ट पर किसी प्रकार की आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। अपीलांट्स का कथन है कि **रेस्पोंडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु खसरा नंबर 510 एवं उसके बट्टा नंबरान् तथा खसरा नंबर 508 में से रास्ता चलायमान है।** अपीलांट्स के उक्त कथनों की पुष्टि अदालत हाजा द्वारा **तहसीलदार बापिणी से तलब मौका फर्द दिनांक 13.11.2024 से होती है।** उक्त मौका फर्द में रेस्पोंडेंट्स के आवागमन हेतु रास्ते के रास्ते के दो विकल्प बताये गये हैं, जिनकी दूरी क्रमशः परिषिष्ट अ मार्क ए से डी. 336 मीटर, परिषिष्ट ब मार्क ए से एच 246 मीटर है। **वर्तमान में रेस्पोंडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर परिषिष्ट ब के अनुसार मौके पर खसरा नंबर 510/1 में से सामलाती रास्ता तथा खसरा नंबर 509 में से मार्क ए से बी कदीमी रास्ता चालू होना बताया गया है।**

विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका फर्द दिनांक 08.09.2020 एवं मौका फर्द दिनांक 30.07.2021 के अवलोकन मुताबिक उक्त मौका फर्द अपीलांट्स को सूचित किये बिना उनकी अनुपस्थिति में तैयार किया जाना प्रकट होती है। उक्त मौका फर्दों में रेस्पोंडेंट संख्या एक व दो के आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध रास्ते के सभी विकल्पों एवं वर्तमान चलायमान वैकल्पिक रास्ते की जांच नहीं किया जाना प्रकट होता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को मौका फर्द पर आपत्तियों प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों एवं धारा 251-ए की मंषा के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि-विरुद्ध एवं धारा 251-ए राजस्थान काष्ठकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विप्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 556/2020 तिलोकसिंह व अन्य बनाम देवीसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 03 मार्च 2022 निरस्त किया जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह सभी प्रभावित व्यक्तियों को मामले में पक्षकार संयोजित करते हुए उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए

मौका फर्द दिनांक 13.11.2024 में दर्षित परिषिष्ट ब के अनुसार मौके पर चलायमान रास्ते के तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए का विधिसम्मत निस्तारण करे। तब तक परिषिष्ट ब में दर्षित रास्ता बंद नहीं किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विष्णोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर